सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

नागरिक सुरक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

सत्यमेव जयते

सर्व भूत हिते रत :

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

नागरिक सुरक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

भाग–1

1. **प्रस्तावना :**

अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जान व माल का भारी नुकसान को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी। भारत सरकार द्वारा देश में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त, राजस्थान सरकार द्वारा भी 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के 12 संभावित हवाई हमले (बाहरी आक्रमण) से प्रभावित होने वाले सीमावर्ती नगरों में नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वर्ष–1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, प्रभावी खोज एवं बचाव कार्यो के माध्यम से राज्य में जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। वर्ष–2001 में गुजरात भूकम्प व 2004 में देश के दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी से देश में हुई। जान व माल की क्षति तथा प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लागू किया गया।

नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ–साथ आपदा/विपदाओं की स्थिति में सदुपयोग किये जाने के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष–2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968 में आंशिक संशोधन करते हुए, इस विभाग को आपदा प्रबन्धन की भी अहम जिम्मेदारी दी गयी।

राज्य सरकार ने दिनांक 27 जुलाई–2015 को नागरिक सुरक्षा विभाग को गृह रक्षा विभाग से पृथक कर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन किये जाने की अधिसूचना जारी की। वर्ष–2017 में राज्य के समस्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया, जिससे नागरिक सुरक्षा का कार्य क्षेत्र नगरीय सीमा के स्थान पर सम्पूर्ण जिला हो गया है।

2. <u>नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य</u> – देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नामांकित किया जाता है।

3. वर्तमान में राज्य में कियाशील नागरिक सुरक्षा जिलों की कैटेगरी वाईज सूची

<u>(अ) कैटेगरी–I के नागरिक सुरक्षा जिले</u>

क.सं.	जिले का नाम	विशेष विवरण
1	कोटा	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–I नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
2.	चित्तौडगढ़ (रावतभाटा)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–I ना.सु. टाउन रावतभाटा एवं नगरीय क्षेत्र को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
<u>(ब) कैटेगरी–II के नागरिक सुरक्षा जिले</u>		
3	अजमेर (नसीराबाद एवं ब्यावर)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर नसीराबाद एवं ब्यावर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।

4	अलवर (भिवाड़ी)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर भिवाड़ी के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
5	बीकानेर (नाल)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर नाल के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
6	श्रीगंगानगर (सूरतगढ़ एवं लालगढ़)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर सूरतगढ़ एवं लालगढ़ के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
7	जयपुर (फुलेरा)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर फूलेरा के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
8	उदयपुर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II ना.सु. नगर उदयपुर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
9	भरतपुर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर भरतपुर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
10	बाडमेर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर बाड़मेर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।

11	जोधपुर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर जोधपुर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
12	सिरोही (आबू रोड़)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर आबू रोड़ के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
13	जैसलमेर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर जैसलमेर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
14	सीकर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर सीकर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
15	सवाईमाधोपुर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर सवाईमाधोपुर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
16	पाली	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर पाली के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
17	हनुमानगढ़	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर हनुमानगढ़ के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।

18	बून्दी	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर बूंदी के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
19	भीलवाड़ा	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
20	जालोर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर जालोर के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
21	नागौर	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कैटेगरी–II नागरिक सुरक्षा नगर मेड़ता रोड़ के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।

(स) कैटेगरी–III के नागरिक सुरक्षा जिले		
22	करौली	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
23	दौसा	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
24	धौलपुर	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
25	टोंक	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
26	बारां	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
27	झुन्झुनू	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
28	चूरु	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
29	झालावाड़	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
30	प्रतापगढ़	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
31	बांसवाड़ा	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
32	डूंगरपुर	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।
33	राजसमंद	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित है।

नोट : कैटेगरी–I व II हवाई हमले के मध्य नजर एवं कैटेगरी–III आपदा प्रबन्धन के मध्य नजर नागरिक सुरक्षा जिला/नगर घोषित है।

4. **नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण निम्नानुसार है :–**

(क) **<u>निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर</u>**– नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण ''**आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान**'' के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा–2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम–2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों/ कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण निम्नानुसार है :–

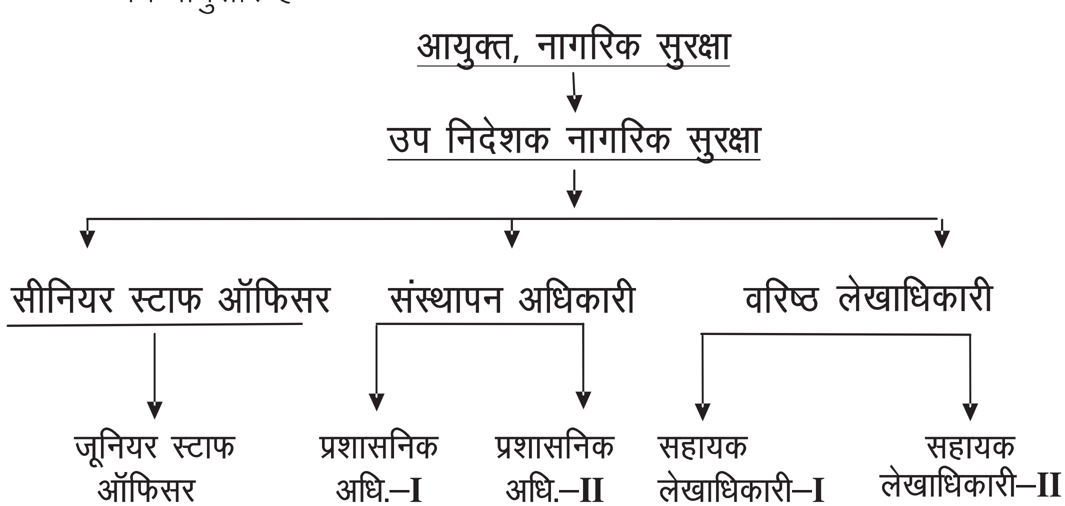

(ख) **<u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर</u>** – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में राज्यस्तरीय ''**नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान**'' LFkkfir fd; जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में शासन उप सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। उक्त संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा–2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम–2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों/कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

निदेशक

↓

उप निदेशक

↓

सहायक निदेशक (प्रशासन) | **सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)**

(ग) **जिला नागरिक सुरक्षा कार्यालय**—राज्य के 33 जिलों में नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के अधीन है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम—1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा—2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम—2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों / कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं, जो निम्नानुसार है :—

नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा

↓

उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा

↓

सहायक नियंत्रक नागरिक सुरक्षा

↓

नागरिक सुरक्षा अनुदेशक | **अग्निशमन इकाई** | **मंत्रालयिक स्टाफ**

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** — वर्तमान में राज्य के 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा इकाईयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिले के नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा तथा निदेशालय नागरिक सुरक्षा अग्निशमन इकाई का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है।

क.सं.	जिला नाम	नागरिक सुरक्षा अग्निशमन ईकाई
1.	अजमेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा अजमेर
2.	बीकानेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बीकानेर
3.	भरतपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा भरतपुर

4.	जयपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जयपुर
5.	जोधपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जोधपुर
6.	कोटा	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा कोटा
7.	उदयपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उदयपुर
8.	बाड़मेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बाड़मेर
9.	जैसलमेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जैसलमेर
10.	श्रीगंगानगर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा श्रीगंगानगर
11.	जालौर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जालौर
12.	अलवर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा अलवर
13.	जयपुर	निदेशालय नागरिक सुरक्षा राज. जयपुर

5. **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन इकाईयों के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–**

- नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की अग्नि दुर्घटनाओं, नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाली बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना तथा राज्य के अन्य जिलों में बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार उपयोग।
- जिलों में नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार, राजकीय समारोहों, सभाओं, मेलों व अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन इत्यादि के दौरान आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था के तहत उपयोग।
- संबंधित क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों, शिक्षण संस्थानों, स्थानीय लोगों को अग्निशमन जनजागरुकता प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

भाग – 2

6. **<u>नागरिक सुरक्षा निदेशालय</u>** –निदेशालय, नागरिक सुरक्षा राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यालय वर्तमान में 10/पी/8/सी, सेक्टर–10, सरकारी डिस्पेन्सरी के पास, विद्याधर नगर,जयपुर पर स्थित है। विभाग में स्वीकृत/उपलब्ध स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

क.सं.	पदनाम	अधिकृत	पदस्थापित	रिक्त
नागरिक सुरक्षा मद 2070–00–106–03–01				
1	निदेशक (आयुक्त)	01	–	1 (अति. प्रभार)
2	उप निदेशक	01	01	–
3	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	01
4	सीनियर स्टाफ आफिसर	02	01	01
5	जूनियर स्टाफ आफिसर	01	–	01
6	उप नियंत्रक	11	01	10
7	सहायक नियंत्रक	21	–	21
8	निरीक्षक रेडियो (तकनीक)	01	–	01
9	उप निरीक्षक रेडियो (आपरेटर)	01	01	–
10	नागरिक सुरक्षा अनुदेशक	37	–	37
11	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	01	01	–
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	03	03	–
13	कनिष्ठ लेखाकार	07	04	3
14	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	–
15	संस्थापन अधिकारी	01	01	–
16	प्रशासनिक अधिकारी	03	03	–
17	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	06	06	0
18	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	11	01
19	वरिष्ठ सहायक	19	15	04
20	कनिष्ठ सहायक	33	06	27
21	सूचना सहायक	03	01	02
22	वाहन चालक	06	–	06
23	आरक्षी वाहन चालक	03	02	01

24	संदेश वाहक	03	02	01
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	33	14	19
26	निदेशक सीडीटीआई	01	–	01
27	उप निदेशक सीडीटीआई	01	–	01
28	मेडिकल ऑफिसर	01	01	0
29	सहायक निदेशक	04	–	04
30	लाईब्रेरी सहायक	01	–	01
31	स्टोर कीपर	01	–	01
32	वरिष्ठ प्रदर्शक	02	–	02
33	कनिष्ठ प्रदर्शक	07	–	07
34	पेरामैडिकल स्टाफ	02	–	02
35	निजी सहायक ग्रेड–II	01	01	–
	योग	**232**	**76**	**156**
नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा मद 2070–00–106–02–00				
1	फायर आफिसर	02	.	02
2	सब फायर आफिसर	06	.	06
3	लीडिंग फायरमैन	20	02	18
4	फायरमैन	112	21	91
5	वाहन चालक	10	01	09
6	आरक्षी	01	.	01
7	सहा प्रशासनिक अधिकारी	01	01	.
8	वरिष्ठ सहायक	01	01	
9	कनिष्ठ सहायक	01	01	.
10	ड्राईवर कम फायर पम्प आपरेटर	01	0	01
	योग	155	27	128
	कुल नफरी का योग	**387**	**103**	**284**

नोट:विभागीय सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों के अभाव में उपरोक्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही नही की जा सकी है।

7. **बुनियादी प्रशिक्षण**—वर्ष **2024—25** में 5000 नागरिक सुरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण एवं सेवा प्रशिक्षण दिये जाने तथा **2250** स्वयंसेवकों को संयुक्त अभ्यास करने का लक्ष्य निम्नानुसार जिलेवार आवंटित किया गया है :—

क्र.स.	नागरिक सुरक्षा जिला	वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटन	संयुक्त अभ्यास (06 दिसम्बर—2024 एवं 26 जनवरी—2025)
1	अजमेर	300	100
2	अलवर	100	100
3	बाड़मेर	100	100
4	बांसवाड़ा	100	50
5	बारां	100	50
6	बीकानेर	300	100
7	भरतपुर	300	100
8	भीलवाड़ा	100	50
9	बून्दी	100	50
10	चूरू	100	50
11	चित्तौड़गढ़	100	50
12	दौसा	100	50
13	धौलपुर	100	50
14	डूंगरपुर	100	50
15	श्रीगंगानगर	100	100
16	हनुमानगढ़	100	50
17	जयपुर	600	200
18	जालौर	100	50
19	जैसलमेर	100	50
20	झालावाड़	100	50

21	झुन्झुनू	100	50
22	जोधपुर	300	100
23	करौली	100	50
24	कोटा	300	100
25	नागौर	100	50
26	पाली	100	50
27	प्रतापगढ़	100	50
28	राजसमन्द	100	50
29	सवाईमोधापुर	100	50
30	सीकर	100	50
31	सिरोही	100	50
32	टोंक	100	50
33	उदयपुर	300	100
	योग :	**5000**	**2250**

8. **मल्टी हजार्ड जिले**–भारत सरकार द्वारा संभावित बहु–आपदाओं के मध्य नजर राज्य के 03 जिलों (अलवर, बाड़मेर व जालोर) को मल्टी हजार्ड जिले घोषित किये गये हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा कैटेगरी–III नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी है।

9. **जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन केन्द्रों पर जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दलों की तैनाती** – आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकःएफ.4(8)आ.प्र./ना.सु/2018/राजकाज/6390416 दिनांक 28.03.2024 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जिलास्तर पर प्रभावी आपदा प्रबन्धन के तहत, जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टरों (EOC) पर लगातार 24 घंटे (Round the Clock) नागरिक सुरक्षा के आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को प्रथम रेस्पोंडर के रूप में राज्य के समस्त जिलों में जिला त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) में कुल 636 स्वयंसेवक जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) मय बचाव वाहन एवं आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों के साथ तैनात है।

राज्य में उपरोक्तानुसार नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को विभिन्न आपदा/विपदा/ घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं में खोज एवं बचाव कार्य हेतु नियंत्रण कक्ष में जिला त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) के रूप में लगातार 24 घंटे (Round the Clock) तैनात किये हुए है, जो नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशों में सभी प्रकार की घटना/दुर्घटनाओं में फर्स्ट रेस्पोण्डर के रूप में खोज एवं बचाव कार्य करने हेतु तैनात है।

10. **बाढ बचाव कार्य में नागरिक सुरक्षा स्वयंसवेकों की तैनातीः** आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकःएफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा. /बाढ/2024/राजकाज/ 7284782 दिनांक 23.05.2024 एवं 8175087 दिनांक 25.06.2024 द्वारा मानसून वर्ष–2024 में बाढ की सभावना को देखते हुए राज्य के समस्त जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की बाढ बचाव टीम दिनांक 15.06.2024 से 30.09.2024 तक जिला स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष पर लगातार 24 घंटे (Round the Clock) 15 व खोज एवं बचाव टीम में 06 कुल 21 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को दैनिक मानदेय पर तैनात किये जाने हेतु सम्बंधित जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया।

11. **नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की वेतन श्रृखला 01 से 06 तक रिक्त पदों के विरूद्ध तैनाती :** वित्त (जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःएफ.2(1) वित्त/जी एण्ड टी/एसपीएफसी/2022 दिनांक 15.06.2022 एवं आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकःप.4(17)आ.प्र./ना.सु. /2021/8397–8419 दिनांक 29.06.2022 के क्रम में राज्य में वेतन श्रृखला 01 से 06 तक रिक्त पदों के विरूद्ध केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग/स्वयात्तशाषी संस्थाओं/निगमों को उनकी मांग पर सम्बंधित जिले के नियंत्रक (जिला कलक्टर), नागरिक सुरक्षा के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को निर्धारित दैनिक मानदेय पर उपलब्ध/तैनात किया जा रहा है।

12. **राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कोर्स** :—

वित्तीय वर्ष 2024—25 में नागरिक सुरक्षा जिलों को 420 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु लक्ष्य आंवटित किया गया है, जिसकी पालना में स्वयंसेवकों के कौशल विकास के लिए राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर कुल 261 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया।

13. **राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कोर्स**— राज्य से वर्ष 2024—25 में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न कोर्सो/कार्यशाला में राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के कुल 81 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

14 **भारत सरकार से प्राप्त पुनर्भरण** : राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग (अग्निशमन सेवा को छोड़कर) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा राज्य को पुनर्भरण किया जाता है। गत 04 वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

Financial Year	Period (Quarter)	Claim Order No.	Amount	Amount received from MHA or Not received
2019-20	04/19 to 3/20	8332-33 dated 17.06.2021	1,54,34,439/-	Received (01/12/2023)
2020-21	04/20 to 3/21	5015-16 dated 31-03-2022	1,51,60,789/-	Received (20/02/2023)
2021-22	04/21 to 03/22	Being forwarded to MHA	4,47,35,268/-	Claim still under process at MHA GoI New Delhi.
2022-23	04/22 to 03/23	2240 dated 02-04-2024	1,74,86,804/-	Received (20/11/2024)

15. वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्ययभार का विवरण :–

(अ) **नागरिक सुरक्षा मद** 2070–00–106–03–01 में विभिन्न दायित्वों पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर–2024 तक राशि रू. 170504606.00 का व्यय किया गया है।

(ब) **अग्निशमन सेवा मद** 2070–00–106–02–00 में विभिन्न दायित्वों पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर–2024 तक राशि रू.40515841.00 का व्यय किया गया है।

16. **प्रशस्ति पत्र**:–नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वंयसेवकों को निम्नानुसार राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रशंसा पत्र/सेवा पदक प्रदान किये गये हैं:–

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नागरिक सुरक्षा सेवा पदक			DGCD DISC	राज्यस्तर पर प्रशंसा पत्र
शौर्य पदक	विशिष्ट सेवा पदक	सराहनीय सेवा पदक		योग्यता प्रमाण पत्र
.–	–	–	08	– .

17. विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा–नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2024 से अब तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क. सं.	प्रकरण	01.01. 2024 को शेष	01.01.2024 के पश्चात प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1.	16 सीसीए	01	0	01	0	01
2.	17 सीसीए	–	01	01	01	–
3.	निलम्बन	–	–	–	–	–

18. वर्ष 2024–25 में पदोन्नति/नियुक्ति का विवरण

(अ) आलौच्य अवधि में पदोन्नत अधिकारियों/कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	सेवा का नाम	पद जिस पर पदोन्नति दी गई है	पदोन्नत अधिकारी/कार्मिकों की संख्या	विशेष विवरण
1	मंत्रालयिक सेवा	प्रशासनिक अधिकारी	02	–
2	मंत्रालयिक सेवा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	03	–
3	मंत्रालयिक सेवा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03	–
4	मंत्रालयिक सेवा	वरिष्ठ सहायक	04	–

(ब) आलौच्य अवधि में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अन्तर्गत श्रीमती दुर्गेश कंवर पत्नी स्व. श्री शक्ति सिंह को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाकर नागरिक सुरक्षा,अजमेर में पदस्थापित किया गया।

19. **नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत/उपलब्ध संख्या**

क्र. सं.	नागरिक सुरक्षा जिला	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक		
		अधिकृत (**as per Census 2011**)	उपलब्ध	कमी
1.	अजमेर	28847	941	
2.	अलवर	41484	2379	
3.	बारां	14138	40	
4.	बाड़मेर	28847	1081	
5.	बांसवाड़ा	19989	50	
6.	बीकानेर	26478	3848	
7.	बूंदी	14138	198	
8.	भरतपुर	28847	825	
9.	भीलवाड़ा	26478	181	
10.	चुरू	22486	78	
11.	चितौड़गढ़	17488	2682	
12.	डुंगरपुर	15527	30	
13.	दौसा	17488	29	
14.	धोलपुर	14138	41	
15.	श्रीगंगानगर	22486	2089	
16.	हनुमानगढ़	19989	87	
17.	जयपुर	73551	4433	
18.	जैसलमेर	8136	681	
19.	जोधपुर	41484	7112	
20.	जालोर	19989	99	
21.	झुन्झुनू	22486	100	
22.	झालावाड़	15527	127	
23.	कोटा	22486	5884	
24.	करोली	17488	30	
25.	नागौर	38243	170	

26.	पाली	22486	100	
27.	प्रतापगढ़	8136	210	
28.	राजसमंद	14138	115	
29.	सिरोही	11324	99	
30.	सीकर	28847	298	
31.	सवाईमाधोपुर	15527	412	
32.	टोंक	15527	29	
33.	उदयपुर	36621	354	
	कुल योग	**770844**	**34832**	

20 **संचारः** भारत सरकार द्वारा राज्य के जिलों को हवाई हमले की दृष्टि से हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली से जोड़ा गया है। हवाई हमला चेतावनी प्रणाली के तहत बाह्य चेतावनी प्रणाली (वायु सेना नियंत्रण केन्द्र एवं क्षेत्रिय नियंत्रण केन्द्र से द्वितीय/टाउन नियंत्रण केन्द्र तक) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

21. **विभागीय वाहन :** नागरिक सुरक्षा विभाग (नागरिक सुरक्षा मद व अग्निशमन मद) में कुल 117 वाहन उपलब्ध है, जिनकी मदवार स्थिति/विवरण निम्नानुसार है :–

नागरिक सुरक्षा मद		
क्र.सं.	**वाहन का प्रकार**	**संख्या**
1.	ट्रक (खोज एवं बचाव वाहन)	09
2.	बोलेरो केम्पर (खोज एवं बचाव वाहन)	33
3.	एम्बूलेंस	01
4.	कार्यालय वाहन (जीप/ कार)	11
5.	मोटर साइकिल/स्कूटी/स्कूटर	31
	कुल वाहन	**85**

अग्निशमन मद		
क्र.सं.	**वाहन का प्रकार**	**संख्या**
1	फायर टेण्डर	24
2	वाटर टेंकर	01
3	मोटर साइकिल	07
	कुल वाहन	**32**